[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 24/2017- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 21 अगस्त, 2017

सा.का.नि. .... (अ)–बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 997(अ), तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 21/2017-केंद्रीय कर, तारीख 8 अगस्त, 2017 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0 23/2017-केंद्रीय कर, सा.का.नि. 1024(अ), तारीख 17 अगस्त, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

(i) सारणी में,--

(क) क्रम सं0 1 के स्तंभ (3) में, "20 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "25 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम सं0 2 के स्तंभ (4) की मद (i) में, "20 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "25 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) क्रम सं0 2 के स्तंभ (4) की मद (iii) में, "21 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "26 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) क्रम सं0 3 के स्तंभ (3) में, "20 अगस्त, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "25 अगस्त, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) पैरा 2 में, स्पष्टीकरण के पहले आने वाले "धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए," शब्दों और अंकों के पश्चात्, "25 अगस्त, 2017 को या उसके पूर्व," अंक और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 349/74/2017-जीएसटी (पी.टी.)]

(शंकर प्रसाद शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 1024(अ), तारीख 17 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 23/2017-केंद्रीय कर, तारीख 17 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।